कार्यालयः— जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर (म०प्र०)

//ज्ञापन//

क्रमांक—क्यू/कोराना/2020 नरसिंहपुर दिनांक—25.03.2020

प्रति,

अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ
नरसिंहपुर/गाडरवारा

विषय— दिनांक 14.04.2020 तक न्यायालय में अकार्य दिवस घोषित किये जाने के संबंध में ।

संदर्भ— माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का परिपत्र क्र0 क्यू—5 जबलपुर दिनांक— 25.03.20

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित रजिस्ट्री परिपत्र क्र0 क्यू—5 जबलपुर दिनांक— 25.03.20 द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार , नई दिल्ली द्वारा पत्र क्र040—3/2020—डी दिनांक— 24.03.20 के अनुक्रम जारी किया गया है जिसमें निहित शर्तो के अधीन कोराना वायरस के खतरे और बड़े पैमाने पर फैलने की स्थिति को ध्यान में रखते हुये मााननीय रजिस्ट्री द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक— 14.04.20 तक तीन सप्ताह के लिये अकार्य दिवस घोषित किये गये हैं। उक्त अवधि में न्यायालयीन कार्य बंद रहेगा।

अधीनस्थ न्यायालयों के सभी अधिकारी/कर्मचारी सदस्य अपने मोबाईल को सक्रिय मोड पर रखेगें तथा मुख्यालय पर ही रहेगें। अप्रत्याशित स्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय एवं परिवार न्यायाालय माननीय रजिस्ट्री के निर्देशानुसार कार्य करेगें जब तक कि अगले आदेश माननीय रजिस्ट्री द्वारा नहीं दिये जाते ।

अर्जेंट प्रकरण जो पूर्व से लंबित नहीं है, को छोड़कर, शेष में जिला न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय अथवा प्रभारी अधिकारी माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय की अनुमति के बिना सुनवाई में नहीं लेगें। अनुमति दिये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय /परिवार न्यायालय/वकील /पक्षकार एवं संबधित व्यक्ति को सुनवाई हेतु निर्दिष्ट स्थान अथवा वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु अवगत कराया जायेगा।

जिला न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय या प्रभारी अधिकारी की विशिष्ट अनुमति के अधीन सभी अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक— 14.04.20 तक प्रवेश अनुबंधित रहेगा।

कोई व्यक्ति जिसमें कि अधिवक्ता भी शामिल है, वे प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य की जानकारी हेतु प्रशासनिक अधिकारी से अधिकारिक ई मेल आई डी mahendrasoni0104@gmail.com पर संपर्क किया जा सकेगा।

समय—समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश एवं गाईडलाईन भविष्य में दिये जायेगें उसका भी पालन किया जायेगा।

अधीनस्थ न्यायालयों के लिये उपरोक्त निर्देशों में किसी भी प्रकार की अवहेलना एवं लापरवाही को गंभीरता से लिया जावेगा।

इस ज्ञापन के साथ रजि0 का परिपत्र क्र0 क्यू—5 की प्रति भी संलग्न की जा रही है।उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नरसिंहपुर

Scanned with CamScanner

पृष्ठांकन क्यू/कोराना/20 नरसिंहपुर दिनांक–25.03.2020

प्रतिलिपिः–

1– माननीय रजिस्टार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2– प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय नरसिंहपुर ।

3– जिला कलेक्टर, नरसिंहपुर।

4– पुलिस अधीक्षक, नरसिंहपुर।

5– समस्त अधिकारीगण नरसिंहपुर/गाडरवारा
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

6– प्रभारी अधिकारी/सिस्टम ऑफीसर नरसिंहपुर की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं जिला न्यायालय की ई मेल आई डी पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

7– प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग नरसिंहपुर /गाडरवारा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार पर संलग्न नोटिस चस्पा करावें।

8– अध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी संघ, नरसिंहपुर/गाडरवारा की ओर समस्त कर्मचारीगण को सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नरसिंहपुर

Scanned with CamScanner